न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 04/2023 राजस्व अपील

1. नवल पुत्र सुवालाल
2. किस्तूरा पुत्र सुवालाल
3. भौरीलाल पुत्र सुवालाल
4. रामचन्द्र पुत्र सुवालाल
   समस्त जाति माली निवासी बहरावण्डा तहसील बहरावण्डा जिला दौसा

अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार तहसील बहरावण्डा दिनांक 29.8.2022 प्रकरण सं. 9/2022 उनवान सरकार बनाम नवल आदि अन्तर्गत धारा 75 राज. भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :-: श्री उमेश कुमार गौड़ अपीलान्ट्स उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

-: निर्णय :-

दिनांक: 24.12.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पूर्व खसरा नम्बर 2602 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम बहरावण्डा तहसील सिकराय जमाबंदी सम्वत 2008 लगा. 2022 में गै0मु0 सिवायचक भूमि दर्ज थी। भूमि एकीकरण की कार्यवाही के दौरान उक्त भूमि के खसरा नम्बर परिवर्तित कर खसरा नम्बर 1032 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कायम किये गये। भू आवंटन अधिकारी ने उक्त खसरा नम्बर 1032 दिनांक 25.6.1965 को रामदेव पुत्र गोविन्दा के नाम आवंटित कर दी। बाद आवंटन आवंटी को कब्जा सम्भलाया गया तथा नामान्तरकरण संख्या 174 दिनांक 2711.1972 को आवंटी के नाम दर्ज कर दिया गया। आवंटी रामदेव की मृत्यु के बाद उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण सं0 482 सुवा पुत्र रामेदव के नाम नामान्तरित की गई। जमाबंन्दी संवत 2057 लगा 2060 में खसरा नम्बर 1032 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि सुवा पुत्र रामदेव के नाम खातेदारी में अंकित हुई। खातेदार सुवा पुत्र रामदेव की मृत्यु दिनांक 21.1.2003 को हो गई। जिसके बाद अपीलांट उक्त भूमि के भूप्रबन्ध हाल में परिवर्तित खसरा नम्बर 1693 रकबा 0.53 है0 पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। भूमि आवंटन से पूर्व कभी तलाई की भूमि नहीं रही, भूमि समतल है पानी भराव नहीं होता है। आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 1693 रकबा 0.53 है0 के पूर्व खसरा नम्बर 1032 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम बहरावण्डा में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुरूप अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को रेफरेन्स हेतु आवेदन पेश किया। अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने प्रकरण सं0 74/2006 बनाकर रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में द[illegible] एल आर 10275/2008 दौसा दिनांक 2.2. 2018 को रेफरेन्स स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 1032 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम बहरावण्डा को गै0मु0 तलाई के रूप में अंकित करने [illegible] तहसीलदार सिकराय को आदेश फरमा दिया गया। तत्कालीन उप तहसीलदार द्वारा दिनांक 19.6.2020 को नामान्तरकरण सं. [illegible] को बिना अंपीलांट को सूचना व सुनवाई अन्य खसरा नम्बर के साथ इस खसरा नम्बर 1693 को [illegible] तलाई के रूप में अंकित कर दिया। प्रार्थीगण ने माननीय राजस्व मण्डल में पारित अवैध आदेश के विरूद्ध पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत कर दी है जो विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:12:03 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के विरूद्ध आराजी खसरा नम्बर 1693 पर अपीलांट्स को अतिक्रमी मानकर अपीलांट्स को निष्कासित करने व लगान की 50 गुणा शास्ति के 720 रूपये अर्थदण्ड से अपीलांट्स को दण्डित करने का प्रश्नगत आदेश दिनांक 29.8.2022 पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गयी। प्रकरण से सम्बन्धित मूल अभिलेख तलब किया गया। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 1693 रकबा 0.53 है0 के पूर्व खसरा नम्बर 1032 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम बहरावण्डा में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुरूप अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को रेफरेन्स हेतु आवेदन पेश किया। अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने प्रकरण सं0 74/2006 बनाकर रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया। जबकि खातेदार सुवा पुत्र रामदेव की मृत्यु वर्ष 2003 में हो गई थी। मृतक के विरूद्ध तहसीलदार द्वारा किया गया आवेदन व अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में किया गया रेफरेन्स अवैध एवं प्रभावशून्य है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दर्ज रेफरेन्स एल आर 10275/2008 दौसा दिनांक 2.2.2018 को रेफरेन्स स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 1032 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा ग्राम बहरावण्डा को गै0मु0 तलाई के रूप में अंकित करने हेतु तहसीलदार सिकराय को आदेश फरमा दिया गया। अपीलांट्स द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 2.2.2008 के विरूद्ध पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत कर दी है जो विचाराधीन है। पटवारी हल्का बहरावण्डा की रिपोर्ट पर अपीलांट्स को उक्त खसरा नंम्बर 1693 के 0.45 है0 भू भाग पर फसल खरीफ संवत 2079 में अतिक्रमी मानकर अपीलांट्स की बिना तामील व सूचना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रश्नगत आदेश द्वारा बेदखली एवं शास्ति कायमी का एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। वर्तमान खसरा नम्बर 1693 पर अपीलांट्स अपने बाबा के जीवनकाल से निरन्तर काबिज चले आ रहे हैं, मौके पर आराजी काबिल काश्त है। तलाई मौके पर कभी अस्तित्व में नहीं रही और न आज दिन तलाई जैसी स्थिति मौके पर है। अपीलांट्स द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 2.2.2018 के विरूद्ध पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत कर दी है जो विचाराधीन है। अपीलांट्स को अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नगत आदेश की जानकारी दिनांक 5.12.2022 को होने पर नकल हेतु आवेदन कर नकल आदेश प्राप्त की गई है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश दिनांक 29.8.2022 निरस्त फरमावें।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि अपीलांट्स द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दर्ज रेफरेन्स एल आर 10275/2008 दौसा दिनांक 2.2.2018 को रेफरेन्स स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 1032 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा ग्राम बहरावण्डा को गै0मु0 तलाई के रूप में अंकित करने हेतु तहसीलदार सिकराय को आदेश फरमा दिया गया। उक्त आदेश दिनांक 2.2.2018 के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत करना अवगत कराया गया है। जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि आज सरकारी भूमि है। प्रश्नगत आदेश दिनांक 29.8.2022 में अंकितानुसार अपीलांट्स उपस्थित नहीं हुए। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में खसरा नम्बर 1693 किस्म गै.मु. तलाई(सिवायचक) के 0.45 है0 पर अपीलांट्स द्वारा अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर विधिसम्मत कार्यवाही की जाकर प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की [illegible]नन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट्स द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दर्ज रेफरेन्स एल आर 10275/2008 दौसा दिनांक 2.2.2018 को रेफरेन्स स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 1032 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा ग्राम बहरावण्डा को गै0मु0 तलाई के रूप में अंकित करने हेतु तहसीलदार सिकराय को आदेश फरमा दिया गया। [illegible]बन्ध में खसरा नम्बर 1032 से परिवर्तित खसरा नम्बर 1693 किस्म गै0मु0 तलाई बने है। जिसके संदर्भ में तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपीलांट्स को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.26 11:12:03 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खसरा नम्बर 1693 किस्म गै0मु0 तलाई पर अतिक्रमी मानते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही कर प्रश्नगत आदेश दिनांक 29.8.2022 पारित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 2.2.2018 के विरूद्ध पुनर्विचार याचिका पेश करना अवगत कराया गया है। किन्तु उक्त संदर्भ में कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया गया है और न ही कोई स्थगन आदेश होना व्यक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार बहरावण्डा के प्रश्नगत आदेश दिनांक 29.8.2022 के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:12:03 IST
Reason: SelfAttested